P001

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 19.06.2018 द्वारा श्री गोविन्द राम शर्मा प्रधानाचार्य, राउमावि आसावरा, भदेसर जिला चित्तौडगढ का स्थानान्तरण राउमावि रेन्टा, जोंतरी जिला डूंगरपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री गोविन्द राम शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील सं 1929/2018 गोविन्द राम शर्मा बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य आदेश दिनांक 19.06.2018 को अपास्त करते हुए अपीलार्थी को विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन पेश करने और सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) से निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को देने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होने एवं विद्यालय उन्नयन हेतु किये गए कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए जयपुर शहर अथवा राउमावि आसावरा, भदेसर जिला चित्तौड़गढ में प्रधानचार्य एवं समकक्ष के रिक्त पद पर पदस्थापित किये जाने सम्बन्धी परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के नियमों/परिपत्रों/दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया व उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। याचिकार्थी को विभागीय आदेश दिनांक 21.08.2018 द्वारा पुनः राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसावरा, भदेसर जिला चित्तौडगढ़ में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया जाकर अनुतोष प्रदान किया जा चुका है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/गोविन्द शर्मा/अपील/1929/2018 दिनांक 13.02.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, चित्तौडगढ़।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) चित्तौडगढ़।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. सम्बन्धित कार्मिक/अपीलार्थी।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

P001

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.डीपीसी/01–02 से 17–18 पदस्थापन/2018 दिनांक 31.05.2018 द्वारा श्री मुरारी लाल (क्र.सं.–119, वरि. क्र.–1797), प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय धानोथी छोटी, चूरू को पदोन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग उनके द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र के आधार पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साहूवाला, भादरा, जिला हनुमानगढ पदस्थापित किया गया था जिसके विरूद्ध श्री मुरारी लाल द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 122/2019 मुरारी लाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.02.2019 द्वारा अपीलार्थी को अपनी व्यथा के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग को आवश्यक साक्ष्यों एवं दस्तावेजों सहित दिनांक 20.02.2019 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और अपीलार्थी का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसे 15 दिवस की समयावधि में विभाग के नियमों/परिपत्रों एवं विधि के अनुरूप एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को देने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में परिवेदना प्रस्तुत की गई कि काउन्सलिंग दिनांक 31.05.2018 को उनके गृह जिले चूरू जिले के प्रधानाचार्य पद की रिक्तियों को प्रदर्शित नहीं किया गया, जिसके कारण अपीलार्थी को उनके गृह जिले से बाहर हनुमानगढ़ जिले में पदस्थापन हेतु अपनी सहमति देनी पड़ी। अपीलार्थी द्वारा अपना पदस्थापन स्थान संशोधित कर गृह जिले चूरू में राआउमावि गालड, चूरू में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। परामर्श शिविर के समय अपीलार्थी को उनके विशेष श्रेणी (दिव्यांग) होने के आधार पर उच्च वरीयता प्रदान की जाकर उनकी काउन्सलिंग की गई थी एवं उनकी सहमति के आधार पर ही उन्हें हनुमानगढ़ जिले में राउमावि सांहुवाला, भादरा जिला हनुमानगढ़ पदस्थापित किया गया और उनके द्वारा उक्त पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण भी कर लिया गया था। जहां तक अपीलार्थी के गृह जिले के रिक्त पदों को काउन्सलिंग में प्रदर्शित नहीं किये जाने का प्रश्न है तो काउन्सलिंग प्रक्रिया में प्रशासनिक आवश्यकता एवं विभागीय हित को ध्यान में रखकर ही रिक्तियों को प्रदर्शित किया जाता है। **अपीलार्थी से उच्च वरीयता धारित श्रीमती सुनीता रानी चौपडा (क्र.सं.–117, वरि. क्र.–117) को भी उनके गृह जिले से बाहर श्रीगंगानगर जिले में पदस्थापन मिला है।** अतः अपीलार्थी की गृह जिले में पदस्थापन सम्बन्धी मांग उचित नहीं है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती।

प्रधानाचार्य एवं समकक्ष का पद राज्य सेवा का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण में दिए गए निर्णय के अनुसार राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक को सरकार अथवा विभागाध्यक्ष राज्य व छात्र हित में कहीं पर भी पदस्थापित करने हेतु सक्षम है। इसी अनुरूप चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण अपीलार्थी, मुरारी लाल, प्रधानाचार्य राउमावि साहुवाला जिला हनुमानगढ़ का अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/मुरारी लाल/122/2019 दिनांकः 14.02.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, हनुमानगढ़।
4. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) हनुमानगढ़।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
8. सम्बन्धित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)